जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/vg/10

E-Newsletter, Issued in Public Interest

शिव चंद मीणा के आगे सूचना एवं जन संपर्क विभाग के प्रमुख शासन सचिव भी बौने!!!

भाग-10

राजस्थान संवाद के वरिष्ठ प्रबन्धक शिव चंद मीणा खुलेआम उड़ा रहे सूचना आयोग का मखौल!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

राजस्थान संवाद के वरिष्ठ प्रबन्धक शिव चंद मीणा खुलेआम उड़ा रहे सूचना आयोग का मखौल!!!

जैसा कि आपको पूर्व मे प्रकाशित रिपोर्टों मे बताया गया है कि राजस्थान सूचना आयोग द्वारा परिवादी चंद्र मोहन मारोठिया बनाम लोक सूचना अधिकारी,राजस्थान संवाद,सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय मे दर्ज परिवाद संख्या 711/14 मे माननीय तत्कालीन सूचना आयुक्त श्री पीएल अग्रवाल द्वारा दिनांक 29/01/2015 को पारित आदेश मे राजस्थान संवाद संस्था को लोक प्राधिकरण मानते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतरगर्त माना गया था |

बावजूद इसके, उपरोक्त आदेश की अवमानना करते हुए मेरे और अन्य कई सूचना आवेदकों द्वारा जब भी राजस्थान संवाद संस्था से जवाबदेही और पारदर्शिता से संबन्धित सूचनाएँ मांगी जाती है तो श्री शिव चंद मीणा, वरिष्ठ प्रबन्धक,राजस्थान संवाद द्वारा एक रटारटाया जवाब ***"राजस्थान संवाद के कार्यालय आदेश संख्या क्रमांक/राज.संवाद/13/1470(अ) दिनांक 29/11/2013 द्वारा जारी आदेश के तहत राजस्थान संवाद संस्था सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के तहत लोक प्राधिकरण की परिभाषा से बाहर है,साथ ही उक्त के संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय मे भी प्रकरण विचाराधीन है,जिसके तहत अभी सूचना दिया जाना संभव नहीं है|"*** देकर ना केवल सूचना देने से इंकार कर दिया जाता है बल्कि स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे मे मानने से भी इंकार कर दिया जाता है|जो कि माननीय तत्कालीन सूचना आयुक्त श्री पीएल अग्रवाल के दिनांक 29/01/2015 को पारित आदेश की खुलम्मखुल्ला अवमानना करना है|

प्रथम अपील प्रमुख शासन सचिव,सूचना एवं जन संपर्क विभाग को करने के बावजूद शिव चंद मीणा कर रहे अपीलों पर निर्णय

हमारे द्वारा जब भ्रष्टाचार के एक प्रकरण मे शिव चंद मीणा, वरिष्ठ प्रबन्धक,राजस्थान संवाद के जवाब के विरुद्ध प्रथम अपील प्रमुख शासन सचिव,सूचना एवं जन संपर्क विभाग को सूचना के अधिकार 2005 के प्रावधानों के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी तो आश्चर्यजनक रूप से ना तो हमारी प्रथम अपी पर सुनवाई हुई बल्कि प्रथम अपील के संबंध मे शिव चंद मीणा, वरिष्ठ प्रबन्धक,राजस्थान संवाद का पत्र प्राप्त हुआ जिसमे वह वही रट्टू तोते की तरह अपनी घीसे-पीटे,तथ्यहीन कुतर्क देते नजर आए|

जवाब मांगते सवाल?

1. जब अपील विभाग के प्रमुख शासन सचिव को की गयी तो प्रथम अपील पर आज दिनांक तक सुनवाई क्यूँ नहीं की गयी?
2. आखिर क्यूँ विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार ने राजस्थान संवाद के जिम्मेदारों से सवाल नहीं किए कि आखिर माजरा क्या है?
3. क्या वाकई मे शिव चंद मीणा ने श्री अभय कुमार को भी पूरा **माजरा** समझा दिया है?
4. आखिर राजस्थान संवाद के कर्ता-धर्ताओं को सरकारी पैसो का हिसाब देने मे दिक्कत क्यूँ?
5. आखिर राजस्थान संवाद मे ऐसा किया है जिसके कारण इसे सूचना के अधिकार मे लाने से परहेज किया जा रहा है?
6. माननीय सूचना आयोग के निर्णय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे चुनोती देने की सलाह किस नेक अधिकारी द्वारा दी गयी?
7. क्या कोर्ट मे अर्जी लगाने के लिए मुख्यमंत्री अथवा विभाग के मंत्री से सलाह ली गयी थी?
8. जब तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे दायर एसबी सिविल रिटपिटीशन 17511/2015 मे कोई फैसला नहीं आ जाता क्या तब तक राजस्थान सूचना आयोग द्वारा परिवादी चंद्र मोहन मारोठिया बनाम लोक सूचना अधिकारी,राजस्थान संवाद,सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय मे दर्ज परिवाद संख्या 711/14 दिनांक 29/01/2015 मे दिया गया निर्णय बाध्यकारी नहीं है?
9. आखिर शिव चंद मीणा माननीय उच्च न्यायालय मे जवाब क्यूँ नहीं पेश कर रहे है?
10. आखिर इस कोयले की दलाली मे किस किस के हाथ काले है?
11. क्या एक वरिष्ठ प्रबन्धक की इतनी हिमाकत हो गयी है कि वह एक सरकारी संस्था जिसमे मुख्यमंत्री,मंत्री और कई विभागों के प्रमुख शासन सचिव मौजूद हो, उसका स्वयंभू बन सके?
12. आखिर राजस्थान संवाद के प्रबंध निदेशक क्यूँ अपने मुह मे दही जमाये बैठे है?

राजस्थान संवाद
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग परिसर
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक :– राज.संवाद/प्रथम अपील/01/21/ 92. जयपुर दिनांक 30/6/21

श्री ज्ञानेश कुमार,
जवाब दो सरकार, एस–1,
सैकंड फ्लोर, झारखंड अपार्टमेंट,
संगत सिंह रोड़,
जनरल संगत सिंह मार्ग,
खातीपुरा, जयपुर

विषयः– सूचना का अधिकार 2005 धारा 19(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।
(52 एफ 341388)

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 19(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के प्रथम अपील संलग्न आवेदन पत्र का उल्लेख किया गंया।

राजस्थान संवाद के कार्यालय आदेश संख्या क्रमांक/राज.संवाद/13/1470 (अ) दिनांक 29.11.2013 द्वारा राजस्थान संवाद की समिति एवं अध्यक्ष प्रबंध समिति द्वारा राजस्थान संवाद को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के तहत राजस्थान संवाद को लोक प्राधिकरण की परिभाषा एवं परिधि से बाहर किया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न)

साथ ही उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है जिसके तहत अभी प्रथम अपील पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

वरिष्ठ प्रबंधक
राजस्थान संवाद

राजस्थान सूचना आयोग
ओ.टी.एस. चौराहा, झालाना लिंक रोड़,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

परिवाद संख्या : 711/14

परिवादी		प्रत्यर्थी
श्री चन्द्र मोहन मारोठिया, निवासी शिल्प कॉलोनी, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा जयपुर (राजस्थान)	बनाम	लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 29–01–2015

1. परिवादी पक्ष की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि डा. यदुनाथ दशानन उपस्थित ।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री घनश्याम व्यास, अधिवक्ता उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
4. परिवादी के आवेदन दिनांक 4–4–14 के द्वारा राजस्थान संवाद के सम्बन्ध में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई ।
5. प्रत्यर्थी ने परिवादोत्तर दिनांक 2–12–14 प्रस्तुत कर अंकित किया है कि राजस्थान संवाद एक स्वायत्त शासी एवं स्व वित्त पोषित संस्था है, जिसे राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता /बजट राशि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। राजस्थान सरकार के अधिकारी पदेन आधार पर राजस्थान संवाद में कार्य कर रहे हैं। साथ ही, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राजस्थान संवाद में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त नहीं हैं। राजस्थान सरकार के लोक प्राधिकरणों की सूची में भी राजस्थान संवाद शामिल नहीं है। अतः इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एच) के अन्तर्गत लोक प्राधिकरण नहीं माना जा सकता।
6. डा. दशानन ने सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि राजस्थान संवाद का नियंत्रण एवं प्रबन्धन राजस्थान सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाता है एवं राजस्थान संवाद का संचालन व प्रबन्धन भी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में जारी किये जाने वाले विज्ञापनों पर प्राप्त होने वाले कमीशन के तौर पर संग्रहित धन राशि से किया जाता है। अतः सूचना का अधिकार

अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच)(डी) (ii) के तहत अप्रत्यक्ष रुप से राजस्थान संवाद राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कर संचालित किये जाने के कारण इसे लोक प्राधिकरण माना जाना अपेक्षित है।

7. अभिलेखानुसार "राजस्थान संवाद" का विधान राजस्थान राजपत्र दिनांक 1 फरवरी, 2002 में प्रकाशित किया गया जिसकी प्रबन्ध समिति को निम्नानुसार गठित किया गया:—

1	सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री / राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2	शासन सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	उपाध्यक्ष
3	शासन सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि जो उप सचिव स्तर से कम का न हो	सदस्य
4	निदेशक, सूचना, शिक्षा, संचार संस्थान (आई.ई.सी.)	सदस्य
5	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	प्रबन्ध संचालक सह सदस्य सचिव एंव कोषाध्यक्ष

8. उक्त संस्था का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958(राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अंतर्गत किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 1129 / 2001—2002 है।

9. संस्था की स्थापना के उद्देश्य इस संस्था के विधान के अनुच्छेद 3 में जो वर्णित हैं, के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार व उसके द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के कार्यक्रमों का प्रचार—प्रसार विज्ञापन के माध्यम से करना है। संस्था के विधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार राजस्थान संवाद का कोष राज्य शासन से प्राप्त अनुदान, विज्ञापनों के प्रकाशन / प्रसारण / निर्माण / उत्पादन एवं सेवा शुल्क से आय, मुद्रण की व्यवस्था से प्राप्त राशि व इलेक्ट्रोनिक प्रचार सामग्री से प्राप्त राशि से बनाया जाना अंकित किया है। विधान के अनुच्छेद 16 में यह भी वर्णित है कि संस्था की चल व अचल सम्पति पर राजस्थान शासन का अधिकार होगा।

10. राजस्थान संवाद की बैलेन्स शीट एवं लेखे जो कि 31 मार्च, 2013 को तैयार किये गये एंव चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा अधिप्रमाणित हैं से स्पष्ट है कि संस्थान की कुल प्राप्ति राशि रु. 12,10,24076 / — में से विज्ञापन कार्यो से सकल प्राप्ति राशि रु. 11,46,85,768 / —है। इससे यह तथ्य स्पष्ट रुप से परिलक्षित होता है कि संस्था के लिए धन राशि की प्राप्तियों का मुख्य स्त्रोत राज्य सरकार के

विभागों, राजकीय उपक्रमों, बोर्डों, पंचायत राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं की जन–कल्याणकारी गतिविधियों के प्रचार–प्रसार के लिए पूरक प्रकाशन एवं अन्य सामग्री का उत्पादन एव वितरण यानी विज्ञापन/सजावटी विज्ञापन हैं। मैं प्रत्यर्थी पक्ष के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि राजस्थान संवाद सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की परिधि से बाहर है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एच)(डी)(ii) में लोक प्राधिकारी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:–

(h) "public authority" means any authority or body or institution of self government established or constituted ----
(a) by or under the Constitution;
(b) by any other law made by Parliament;
(c) by any other law made by State Legislature;
(d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and included any-
(i) body owned, controlled or substantially financed;
(ii) non-Government organization substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government

11. उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि राजस्थान संवाद की स्थापना धारा 2(एच)(डी) के अनुसार राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 01 फरवरी, 2002 के द्वारा की गयी है एव उपरोक्त धारा की उप धारा (डी) (ii) के अनुसार इसका संचालन राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से उपलब्ध करवाई गई निधियों द्वारा उपबन्धित किया जाता है। साथ ही इसका नियंत्रण भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये मंत्री या अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है, अतः राजस्थान संवाद लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आता है।

12. स्पष्ट है कि राजस्थान संवाद लोक प्राधिकारी होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की परिधि में आता है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान राजस्थान संवाद पर बन्धनीय हैं।

13. वर्तमान परिवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग बनाम मणिपुर स्टेट व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 12–12–11 के परिपेक्ष में आयोग द्वारा वर्तमान परिवाद में परिवादी को सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश नहीं दिये जा सकते परन्तु यह जांच की जा सकती है कि सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नहीं एवं सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर सम्बन्धित प्रत्यर्थी को दण्डित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि प्रकरण में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाकर

Authenticated
Dy. Registrar
Rajasthan Information Commission

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अवहेलना हुई है जो कि अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अक्षम्य है।

14. अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रबन्ध संचालक, राजस्थान संवाद, सूचना प्रदान नहीं करवाये जाने के कारणों की जांच करावें एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लावें एवं भविष्य के लिए अधिनियम के प्रावधानानुसार राजस्थान संवाद, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त करें।

15. अस्तु, वर्तमान परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

16. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ साथ प्रबन्ध संचालक, राजस्थान संवाद को भी को प्रेषित हो।

(डॉ. पी.एल. अग्रवाल)
सूचना आयुक्त

नरयानी

Authenticated
Dy. Registrar
Rajasthan Information Com.
JAIPUR